भारत सरकार
खान मंत्रालय
राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 908
दिनांक 27.07.2026 को उत्तर देने के लिए

खनिज ब्लॉकों की नीलामी

908. श्री कार्तिकेय शर्माः

क्या खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः
(क) वर्ष 2015 में खनिज ब्लॉकों की नीलामी व्यवस्था प्रारंभ होने के बाद से अब तक नीलाम किए गए खनिज ब्लॉकों की कुल राज्य-वार संख्या तथा अब तक संचालित किए गए ब्लॉकों की संख्या कितनी है;
(ख) खनिज ब्लॉकों की नीलामी से केंद्र तथा राज्य सरकारों को अब तक प्रोद्भूत राजस्व लाभ तथा भविष्य में अपेक्षित राजस्व लाभ का ब्यौरा क्या है;
(ग) महत्त्वपूर्ण खनिजों सहित खनिजों की उपलब्धता में हुई वृद्धि भारत की आत्मनिर्भरता तथा विकसित भारत, 2047 के लक्ष्य को किस प्रकार आगे बढ़ा रही है; और
(घ) खनिज ब्लॉकों की नीलामी तथा उनके संचालन में तेजी लाने के लिए राज्य सरकारों के साथ किस प्रकार समन्वय किया गया है?

उत्तर

कोयला और खान राज्य मंत्री
(श्री सतीश चंद्र दुबे)

(क) वर्ष 2015 में नीलामी व्यवस्था की शुरुआत के बाद से अब तक 720 खनिज ब्लॉकों की सफलतापूर्वक नीलामी की जा चुकी है, जिनमें से 105 खनिज ब्लॉकों का प्रचालन हो चुका है। वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान, रिकार्ड 212 खनिज ब्लॉकों की नीलामी की गई तथा 36 खनिज ब्लॉकों का प्रचालन शुरु हुआ। राज्य-वार ब्यौरा अनुलग्नक-I में दिया गया है।

(ख) खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 तथा उसके अधीन बनाए गए नियमों के अनुसार, नीलाम किए गए खनिज ब्लॉकों से प्राप्त राजस्व राज्य सरकारों को नीलामी प्रीमियम, रॉयल्टी, अग्रिम भुगतान आदि के रूप में प्राप्त होता है। वर्ष 2015 में नीलामी

व्यवस्था की शुरुआत के बाद से वर्ष 2025-26 तक राज्यों द्वारा खनिज राजस्व संग्रहण, पिछले 11 वर्षों (वित्त वर्ष 2004-05 से 2014-15) की तुलना में लगभग पांच गुना बढ़ गया है।

(ग) महत्त्वपूर्ण खनिजों सहित खनिजों की उपलब्धता में वृद्धि होने से स्वच्छ ऊर्जा, विद्युत गतिशीलता, इलेक्ट्रॉनिक्स, रक्षा, उन्नत विनिर्माण और अवसंरचना जैसे विभिन्न क्षेत्रों के लिए कच्चे माल की विश्वसनीय आपूर्ति सुनिश्चित होती है। इससे घरेलु मूल्य संवर्धन को बढ़ावा मिलता है, आयात पर निर्भरता कम होती है, डाउन्स्ट्रीम उद्योगों को प्रोत्साहन मिलता है और रोजगार सृजन होता है।

इसके अतिरिक्त, सरकार ने महत्त्वपूर्ण खनिजों की सतत आपूर्ति सुनिश्चित करने और गवेषण एवं खनन से लेकर सज्जीकरण; प्रसंस्करण तथा एंड ऑफ लाइफ उत्पादों से पुनर्प्राप्ति तक संपूर्ण मूल्य श्रृंखला को सुदृढ़ बनाने के उद्देश्य से राष्ट्रीय महत्त्वपूर्ण खनिज मिशन (एनसीएमएम) का शुभारंभ किया है। इस संबंध में मंत्रालय द्वारा उठाए गए प्रमुख कदम निम्नलिखित हैं—

(i) खान मंत्रालय ने 56 महत्त्वपूर्ण खनिज ब्लॉकों की सफलतापूर्वक नीलामी की है। इसके अतिरिक्त, भारत सरकार ने गवेषण अनुज्ञप्ति के 11 ब्लॉकों की भी सफलतापूर्वक नीलामी की है, जिनमें 6 महत्त्वपूर्ण खनिज ब्लॉक सम्मिलित हैं।

(ii) खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 (एमएमडीआर अधिनियम) में वर्ष 2025 में संशोधन किया गया है, जिसके माध्यम से एनएमईडीटी के कार्यक्षेत्र का विस्तार कर महत्त्वपूर्ण खनिजों के गवेषण और विदेशों में खनन कार्यकलापों को सहायता प्रदान की गई है। एनएमईडीटी से 100 प्रतिशत वित्तीय सहायता प्रदान करते हुए पैंतालीस निजी गवेषण एजेंसियों को गवेषण परियोजनाओं को शुरु करने के लिए अधिसूचित किया गया है।

(iii) सरकार ने ई-अपशिष्ट, खराब लिथियम-आयन बैटरियों और अन्य स्क्रैप जैसे द्वितीयक स्रोतों से महत्त्वपूर्ण खनिजों के निष्कर्षण हेतु पुनर्चक्रण क्षमता विकसित करने के लिए दिनांक 02.10.2025 को 1,500 करोड़ रुपये की वित्तीय प्रोत्साहन स्कीम का शुभारंभ किया है। इस स्कीम को निजी क्षेत्र से बहुत सकारात्मक प्रतिक्रिया प्राप्त हुई है। 270 (केटीपीए) के लक्ष्य की तुलना में लगभग 850 किलो टन प्रति वर्ष (केटीपीए) की प्रतिभूत क्षमता वाली 58 इकाईयों को पात्र घोषित किया गया है।

(iv) अधिभार वाली/ टेलिंग्स/ फ्लाई ऐश/ रेड मड आदि से महत्त्वपूर्ण खनिजों की पुनर्प्राप्ति हेतु पायलट परियोजनाओं के वित्तपोषण संबंधी दिशानिर्देश दिनांक 14.11.2025 को जारी किए गए हैं।

(v) एमएमडीआर अधिनियम, 1957 में वर्ष 2023 में गहराई में स्थित और महत्त्वपूर्ण खनिजों के लिए गवेषण अनुज्ञप्ति (ईएल) व्यवस्था प्रारंभ करने के लिए संशोधन किया गया। गवेषण अनुज्ञप्तिधारी, नीलामी की शर्तों के अनुसार, खनन पट्टाधारक द्वारा देय नीलामी प्रीमियम में हिस्सेदारी का पात्र होगा।

(vi) खनिज गवेषण में निजी क्षेत्र की भागीदारी को बढ़ावा देने और उसे प्रोत्साहन प्रदान करने के लिए, समेकित अनुज्ञप्ति (सीएल) धारकों (50% तक की प्रतिपूर्ति, ₹8 करोड़ की सीमा के अधीन) और गवेषण अनुज्ञप्ति धारकों (ईएल) (व्यय का 50% तक, अधिकतम सीमा ₹20 करोड़ के साथ) के लिए गवेषण व्यय की आंशिक प्रतिपूर्ति की स्कीम शुरू की गई है।

(घ) खान मंत्रालय ने राज्य सरकारों के सहयोग से खनिज ब्लॉकों की नीलामी और उनके प्रचालन को गति प्रदान करने के लिए अनेक उपाय किए गए हैं। इनमें से प्रमुख उपाय निम्नलिखित हैं—

(i) खान मंत्रालय में खनिज ब्लॉकों की नीलामी और प्रचालन की सतत निगरानी के लिए एक समर्पित परियोजना प्रबंधन इकाई (पीएमयू) की स्थापना की गई है।

(ii) सचिव (खान) की अध्यक्षता में राज्य सरकारों के साथ सितंबर, 2025 से नियमित मासिक समीक्षा बैठकें आयोजित की जा रही हैं, जिनमें नीलामी और खनिज ब्लॉकों के प्रचालन की प्रगति की निगरानी की जाती है और अवरोधों का समाधान किया जाता है।

(iii) माननीय केंद्रीय खान मंत्री और सचिव (खान) की अध्यक्षता में खनन, वन, पर्यावरण और राजस्व विभागों के संबंधित अधिकारियों एवं संबंधित बोलीदाताओं के साथ राज्य-विशिष्ट समीक्षा बैठकें आयोजित की जाती हैं।

(iv) खान मंत्रालय ने राज्य सरकारों के परामर्श से एकीकृत खनन पोर्टल (यूएमपी) तैयार किया है, जिससे नीलामी से लेकर प्रचालन तक संपूर्ण खनिज ब्लॉक जीवन-चक्र का निर्बाध डिजिटल एकीकरण सुनिश्चित किया जा सके। इससे खनिज ब्लॉकों के वैधानिक अनुमोदनों, निगरानी और प्रचालन में तेजी लाई जा सकेगी। खान मंत्रालय और राज्य सरकारों ने महत्त्वपूर्ण एवं प्रमुख खनिज ब्लॉकों की निविदा आमंत्रण सूचना (एनआईटी) जारी करने और पहले से

नीलाम किए गए ब्लॉकों की आगे निगरानी के लिए भी यूएमपी का उपयोग प्रारंभ कर दिया है।

(v) प्रमुख खनिज उत्पादक राज्यों द्वारा नीलामी प्रक्रिया प्रारंभ होने से पहले भूमि निर्धारण संबंधी मुद्दों का हल करने, बोलीदाताओं की अधिक भागीदारी सुनिश्चित करने और प्रचालन को गति प्रदान करने के लिए नीलामी पूर्व समितियों का गठन किया गया है।

(vi) प्रमुख खनिज उत्पादक राज्यों द्वारा अवरोधों का समाधान करने और नीलाम की गई खानों के प्रचालन में तेजी लाने के लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय समन्वय समितियों का गठन किया गया है।

(vii) खनिज (नीलामी) नियम, 2015 में संशोधन कर मध्यवर्ती समय-सीमाओं के प्रावधान, अधिमानित बोलीदाता की स्वत: घोषणा, आशय-पत्र (एलओआई) का स्वत: निर्गमन, बोलीदाताओं एवं राज्य सरकारों द्वारा विलंब के लिए उत्तरदायित्व का निर्धारण और तीव्र प्रचालन के लिए प्रोत्साहन संबंधी प्रावधान किए गए हैं।

(viii) राज्य सरकारों को वित्त वर्ष 2025-26 में पूंजीगत निवेश हेतु राज्यों को विशेष सहायता स्कीम (एसएएससीआई) के अंतर्गत वित्तीय प्रोत्साहनों के माध्यम से प्रमुख खनिज ब्लॉकों की नीलामी में तेजी लाने और खानों के प्रचालन को गति प्रदान करने लिए वित्तीय प्रोत्साहन प्रदान किए गए हैं।

(ix) मौजूदा खनन पट्टों में नए खनिजों को सम्मिलित करने, एमएल/सीएल के लिए एक बारगी क्षेत्र विस्तार और ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस को बढाने के लिए कैप्टिव खानों से खनिजों की बिक्री पर लगाए गए प्रतिबंधों को हटाने संबंधी प्रावधानों जैसे विधायी एवं नीतिगत सुधार किए गए हैं।

*****

अनुलग्नक **I**

'खनिज ब्लॉकों की नीलामी' के संबंध में दिनांक 27.07.2026 को पूछे गए राज्यसभा अतारांकित संसदीय प्रश्न संख्या 908 के भाग (क) के उत्तर में संदर्भित अनुलग्नक

| क्र. सं. | राज्य | नीलाम किए गए खनिज ब्लॉकों की संख्या | प्रचालनरत ब्लॉकों की संख्या |
|---|---|---|---|
| 1 | राजस्थान | 140 | 8 |
| 2 | मध्य प्रदेश | 127 | 10 |
| 3 | ओडिशा | 74 | 35 |
| 4 | कर्नाटक | 65 | 18 |
| 5 | छत्तीसगढ़ | 64 | 5 |
| 6 | गुजरात | 58 | 14 |
| 7 | आंध्र प्रदेश | 47 | 5 |
| 8 | महाराष्ट्र | 45 | 3 |
| 9 | तमिलनाडु | 24 | - |
| 10 | गोवा | 18 | 6 |
| 11 | असम | 14 | 1 |
| 12 | उत्तर प्रदेश | 13 | - |
| 13 | झारखंड | 11 | - |
| 14 | तेलंगाना | 8 | - |
| 15 | अरुणाचल प्रदेश | 6 | - |
| 16 | बिहार | 4 | - |
| 17 | उत्तराखंड | 2 | - |
| कुल | | 720 | 105 |